तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	हुक्म की तामील में जो
16.2.16	पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष उपस्थित आज वर्क सस्पेंड / कंडोलेंस है। पत्रावली साबिक आदेश में दिनांक 26.4.2016 को पेश हो आदेश से रीडर	
1.7.16	पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट........लो.अ.रेप........में पेश हुई। पक्षकारान उप./अनु. पक्षकारान में राजीनामा न होने से पत्रावली निस्तारित नही की ... की संबंधित न्यायालय को वापस लौटाई ... है। 9/8/16	
9/8/16	पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष उप. पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 15/11/16 को पेश हो। आदेश से रीडर	
15/11/16	पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक ... दिनांक 17/02/17 को पेश हो। आदेश से रीडर	
17.2.17	पत्रावली पेश उभयपक्ष उपस्थित / पीठासीन अधिकार जी अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 19.5.17 को पेश हो। आदेश से रीडर	
6/6/17	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। विपक्षी ... 19 2 उपस्थित निर्णय पृथक से किया जाकर ... पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसला ... दाखिल दफ्तर की जावे।	

नियम–26

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)भीलवाडा

न्याय आपके द्वार राजस्व केम्प कोर्टः– कोचरिया
पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः–39/2014

उनवान

1. श्री शिवराज पुरोहित पिता बंशीलाल पुरोहित निवासी कोचरिया तहसील व जिला भीलवाडा।

–ःवादीः–

बनाम

1. श्री किशनलाल पिता मुरलीधर पारीक निवासी कोचरिया तहसील व जिला भीलवाडा
2. श्री उदयलाल पिता श्री भैरूलाल पारीक निवासी कोचरिया तहसील व जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा

–ःप्रतिवादीगणः–

वाद बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212

निर्णय दिनांकः–06.06.2017

पत्रावली आज राजस्व केम्प कोर्ट कोचरिया पर पैश हुई। वादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कोचरिया में स्थित आ0स0 1196 रकबा 2–02 बीघा , आ0स0 1359 रकबा 14–07 बीघा दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी के साबिक आराजी संख्या 314, 318/2 जमाबन्दी महकमा बन्दोबस्त राज्य उदयपुर मेवाड सम्वत 1993 दर्ज रेकार्ड होकर श्री भैरूलाल पिता घासीलाल पुरोहित के नाम दर्ज रेकार्ड थी, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। भू प्रबन्धक विभाग में भैरूलाल पिता घासीलाल पुरोहित के नाम दर्ज रेकार्ड थी, जिसे बिना आधार के राजस्व रेकार्ड में 2–02 बीघा भूमि दर्ज कर दी गई, उक्त आराजी में प्रार्थी की 04 बिस्वा भूमि कम अंकित की गई, प्रार्थी के खाते में 18 बीघा 14 बिस्वा के मुकाबले 16 बीघा 08 बिस्वा दर्ज होना चाहिये थी, प्रार्थी के खाते में 2–01 बीघा कम दर्ज कर दी गई थी, इसलिए प्रार्थी उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित होने से कानूनी अधिकारी होने से पृथक वाद प्रस्तुत कर रखा है। जिसके निस्तारण में समय लगने की सम्भावना होने से विपक्षी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराई जावें। ?

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये, विपक्षी संख्या 1 व 2 उपस्थित, प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित नही विपक्षी संख्या 02 ने जवाब प्रस्तुत किया , जवाब का अवलोकन किया गया , प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड एवं तथ्यों का भलीभांति परीक्षण किया गया वादग्रस्त ग्राम कोचरिया के आराजी संख्या 1196, 1359 कुल किता 02 रकबा 16 बीघा 09 बिस्वा भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 श्री शिवराज पिता बंशीलाल पुरोहित सा0 देह खातेदार दर्ज रेकार्ड है। ग्राम कोचरिया के साबिक आराजी सं0 318/2 जिसके नवीन आराजी नम्बर 1358 बने जो कि किशनलाल पिता मुरलीधर पुरोहित के नाम है, इस प्रकार प्रार्थी खातेदार नही है। प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला नही है, सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नही है, एंव अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नही है। इस प्रकार तीनो बिन्दु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार सिद्ध नही होते है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार योग्य नही ठहरता है। अतः एंव

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सिद्ध नही होने से खारीज किया जाता है।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर(फास्ट्रे)भीलवाडा
राजस्व केम्प कोर्टः–भोपालगढ

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भीलवाड़ा